न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0030

शकुन्तला देवी पत्नी श्री देवकीनंदन रिछारिया
निवासी– लवकुशनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदिका

विरूद्ध

दीपक कुमार पुत्र श्री चिरोंजीलाल गुप्ता
निवासी– लवकुशनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 01.01.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 05.2.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1 यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2 यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा आवेदिका के प्रकरण में एक आदेश दिनांक 14.09.2017 को पारित किया है, जिसकी किसी भी प्रकार से आवेदिका को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी और न ही माननीय न्यायालय द्वारा जारी ही की गयी। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया है। जो वर्तमान समय में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है किन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0030

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षक को पत्र जारी कर विधिवत कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण निगरानी ग्राह्य योग्य हो। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	